विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम की बुनियाद
मातृभाषा

कीर्ति सिंह*
अखिलेश कुमार**

यह लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में शिक्षा के माध्यम पर की गई अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा करता है। शिक्षा का माध्यम एवं देश की उन्नति परस्पर अन्योन्याश्रित है। भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें विविध संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ विद्यमान हैं। राष्ट्र की धरोहर को सहजने एवं शिक्षण-अधिगम में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे केंद्र में रखते हुए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में शिक्षा का माध्यम किस भाषा में हो, पर विशेष ध्यान दिया गया है। परंतु किसी भी सफल नीति की अनिवार्य शर्त उसका सफल क्रियान्वयन है। हमारे देश में शिक्षा भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची (तीसरी सूची) का विषय है, जिस पर नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। अत: 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी बड़ी भूमिका निभानी है। यह लेख विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम की बुनियाद अर्थात् शिक्षा के माध्यम— मातृभाषा की 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के संदर्भ में एक समालोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

वैश्वीकरण, निजीकरण एवं औद्योगिकीकरण ने विश्व के शिक्षा सहित समस्त क्षेत्रों को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव जो शिक्षा पर पड़ा है, वह यह है कि अंग्रेज़ी एक वैश्विक भाषा के रूप में उभरकर सामने आ रही है और तद्नुसार विभिन्न एशियाई देशों में इस प्रकार की शैक्षिक नीतियाँ निर्धारित की गई हैं जो विद्यार्थी के अंग्रेज़ी संभाषण की क्षमता को उन्नत बनाने का एक प्रयास हैं (हमीद और अन्य, 2013)। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है (अन्नामलई, 2006) और भारत में शिक्षा की बात भारतीय सामाजिक एवं भाषाई परिवेश पर चर्चा किए बिना अपूर्ण है (श्रीधर, 1996)।

भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न भाषाएँ एवं बोलियाँ प्रचलन में हैं और स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा हो इससे संबंधित कई समितियाँ बनीं, जिन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया। भाषायी विविधता के बीच हमारे देश में शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा हो यह विवाद किसी न किसी रूप में सदैव रहा है, चाहे अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को लेकर रहा हो या हिंदी भाषी क्षेत्रों में

**असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324 021
***असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान 324 021

अंग्रेज़ी को लेकर। शिक्षण की भाषा से संबंधित नीति के मुद्दे आज़ादी के बाद भारत के कई राज्यों में सामने आए और शिक्षा के उपयुक्त माध्यमों के संबंध में बहुत विवाद उत्पन्न हुए हैं (रामनाथन, 2005) एवं इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत में त्रि-भाषा-सूत्र को अपनाया गया (कंगरजा और अशरफ, 2013)। परंतु इस त्रि-भाषा सूत्र के बावजूद भारत में आज भी अनेक बच्चे हैं, जिन्हें मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध नहीं हैं (हॉर्नबर्गर और वैश, 2009)।

विभिन्न अनुसंधानों में यह देखा गया है कि प्रायः बच्चे, विशेषकर आरंभिक बाल्यावस्था के दौरान, मातृभाषा में ज़्यादा सीखते हैं एवं मातृभाषा में प्रदत्त ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है (नम्बीसन, 1994)। क्योंकि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि विभिन्न भाषाएँ संस्कृति और जीवन मूल्यों की संवाहक भी हैं। सामान्य अर्थों में मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपने जीवन के आरंभिक काल में अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में सीखता है। परिवार एवं समुदाय में अपनी मातृभाषा से आरंभ करते हुए एक भारतीय नागरिक को क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर संप्रेषण के लिए अन्य भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः 'बहुभाषावाद' भारत में शिक्षा के एक लक्ष्य के रूप में व्यापक रूप से स्वीकृत है (श्रीधर, 1991)।

भाषा और संस्कृति की बात की जाए तो भारत अपने आप में अनूठा देश है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की भाषाई विविधता का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि भारत का संविधान आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारत की प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत की जनगणना, 2011 भारत में लगभग 1500 भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है, जिनमें प्रत्येक जनगणना में परिवर्तन होने की पूर्ण संभावना होती है, क्योंकि भारत में प्रयोग की जाने वाली कई भाषाएँ विलुप्ति के कगार पर हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के विद्यालयों में लगभग 58 से 69 भाषाएँ या तो पढ़ाई जाती हैं या शिक्षण का माध्यम हैं।

शिक्षण की भाषा अथवा शिक्षा का माध्यम विषय पर भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही चर्चा की जाती रही है और ऐसा नहीं है कि भाषा के माध्यम पर सिर्फ़ भारत में ही चर्चा की जाती रही है, बल्कि विश्व के कई राष्ट्रों के लिए शिक्षा के माध्यम को चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो भाषा-शिक्षा नीति या अधिग्रहण योजना के सभी मुख्य क्षेत्रों को अपनाती है। यह देखा गया है कि 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद, देश में औपनिवेशिक भाषा की भूमिका पर वृहत चर्चा शुरू हुई (रामनाथन, 2005)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* में भाषाओं के विकास के संबंध में, 1968 की नीति को और अधिक सार्थक बनाते हुए कार्यान्वित करने की बात स्वीकार की गई, परंतु भारत के समतावादी त्रि-भाषा सूत्र के बावजूद, कई भारतीय बच्चों को आज भी ऐसी भाषा में शिक्षित किया जा रहा है जो उनकी मातृभाषा नहीं है (हॉर्नबर्गर और वैश, 2009)। ऐसा पाया गया कि ग्रामीण विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रवृत नहीं हो पाते, इसका एक गंभीर कारण यह है कि आज भी शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी भाषा का प्रभुत्व कायम है। वर्तमान समय की यह माँग है कि शिक्षा के सभी स्तरों

पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए।

प्रत्येक भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा में विराट ज्ञान के तत्व समाहित होते हैं। भाषा व्यक्ति के अधिगम एवं उसके रचनात्मक चिंतन में प्रमुख भूमिका निभाती है। भाषा पर मज़बूत पकड़ के बिना व्यक्ति के ज्ञान की अभिव्यक्ति संभव नहीं, अत: यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* से पूर्व की समस्त समितियों एवं शिक्षा नीति ने इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया है और इसी कारण कोठारी कमीशन 1964–66 द्वारा 'त्रि-भाषा सूत्र' की अनुशंसा की गई, जिसे *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*, क्रियान्वयन की रूपरेखा 1992, *'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005' शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* एवं अद्यतन *'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'* में भी अक्षुण्ण रखा गया है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* के अनुसार बच्चों के ज्ञान निर्माण में भाषा के बुनियादी महत्व को समझते हुए त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने की बेहतर योजना बनाए जाने पर विचार किया गया एवं बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में स्थायी मान्यता देने और आवश्यकतानुसार उनमें आदिवासी भाषाएँ भी सम्मिलित करने पर बल दिया गया, परंतु इसमें अंग्रेज़ी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता को भी नकारा नहीं गया। साथ ही भारतीय समाज के 'बहु-भाषिक प्रकृति' को संसाधन के रूप में देखे जाने की बात भी कही गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह स्वीकार किया गया कि भारतीय भाषाओं और साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास की एक अनिवार्य शर्त होगी। ऐसा माना गया कि जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्तियाँ विकसित एवं क्रियाशील नहीं होंगी, जनसाधारण तक ज्ञान नहीं पहुँच सकेगा और बुद्धिजीवियों तथा जनसाधारण के बीच की खाई कम नहीं होगी। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं को पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया था कि माध्यमिक कक्षाओं में राज्य सरकारों को त्रि-भाषा सूत्र लागू करना चाहिए अर्थात् माध्यमिक स्तर पर बच्चे कम से कम तीन भाषाएँ पढ़ें।

भारत में लगभग चार दशकों के पश्चात् *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी जो 1968 में दिए गए कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। इस नीति ने लगभग 35 वर्षों तक भारतीय शिक्षा की दिशा तय की। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के तहत प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के तहत पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने की बात की गई है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार बच्चे की पहली भाषा, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही होनी चाहिए। उसी में अधिगम की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। दूसरी भाषा के रूप में देश की अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संभाषण की दक्षता और सहभागिता विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय-पूर्व स्टेज से बच्चों को तीन भाषाओं का

ज्ञान दिया जाएगा और ग्रेड 3 तक सभी तीन भाषाओं में लिपि को पहचानने और बुनियादी पाठ पढ़ने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। लेखन के संदर्भ में, मुख्य रूप से ग्रेड 3 तक अनुदेशन के माध्यम से विद्यार्थी लिखना शुरू करेंगे, जिसके बाद अतिरिक्त लिपि के साथ लेखन भी धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा। विद्यार्थी कक्षा 6 या 7 में पढ़ने वाली तीन भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक का चुनाव कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम मूल भाषा है, वे कक्षा 8 में विज्ञान को द्विभाषिक रूप से सीखना शुरू करेंगे, इससे वे वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में अधिक सोच सकेंगे और एक से अधिक भाषाओं में विज्ञान के बारे में बात करने में सक्षम बन सकेंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत किए जाने; स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किए जाने के प्रावधान भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में किए गए हैं जो दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा को उन्नत बनाने में सहयोगी होंगे।

शिक्षा के माध्यम का शिक्षा के प्रत्येक स्तर और क्षेत्र में प्रभाव अलग-अलग होता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* यह मानती है कि किसी भी विषय विशेष में स्थानीय भाषा, राज्य की क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो सकती है। बच्चे की मातृभाषा उसकी घरेलू भाषा से अलग हो सकती है (यदि माता-पिता दोनों की मातृभाषा अलग है और वे समझाने के लिए किसी तीसरी भाषा का उपयोग करते हैं)। इस प्रकार कुछ बच्चों के लिए, इन चारों भाषाओं यथा स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और घर पर बोली जाने वाली भाषा भिन्न हो सकती है और इसलिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* मुख्य रूप से राज्य सरकारों को राज्य में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में शिक्षा का समर्थन करने की सिफ़ारिश करती है।

यदि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की बात की जाए तो इसमें त्रि-भाषा सूत्र को और अधिक स्पष्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* सतत विकास के लिए 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य इक्कीसवीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 'त्रि-भाषा सूत्र' पर बल देने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार त्रि-भाषा सूत्र में पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेज़ी होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर-हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेज़ी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। आज़म एवं अन्य (2013) द्वारा किए गए अनुसंधान में पाया गया है कि अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता भारत में शैक्षिक प्राप्ति के साथ नाटकीय रूप से बढ़ रही है। लगभग 89 प्रतिशत व्यक्तियों, जिनके पास कम से कम स्नातक की डिग्री है, वे उन 56 प्रतिशत लोगों की तुलना में बेहतर अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ़ माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा प्राप्त की है।

चूँकि भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ इस त्रि-भाषा सूत्र की आवश्यकता अधिक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त त्रि-भाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर-हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयों में 'शिक्षा का माध्यम' के मुद्दे को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है जिसके अनुसार कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा या मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। यह भी कहा गया है कि उच्च गुणवत्ता की पाठ्यपुस्तकों को आवश्यकतानुसार देशी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा और श्रवणबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी पाठ्य सामग्री सांकेतिक भाषा में विकसित की जाएगी। देशी भाषा को ग्रेड 5–8 के बाद एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा; शास्त्रीय भाषाओं सहित भारत की भाषाओं के पाठ्यक्रम भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएँगे। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी एक विकल्प के रूप में एक विदेशी भाषा चुन सकते हैं; फिर भी, यह त्रि-भाषा सूत्र के स्थान पर नहीं होगा। त्रि-भाषा सूत्र को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य की स्थिति को बढ़ाने के लिए लागू किया जाएगा। इसके पीछे बहुभाषी देश के लिए बहुभाषी संचार क्षमताओं को बढ़ावा देना उद्देश्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, खंड 4.11 के अनुसार, "जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर या स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक एवं निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे" (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ संख्या 19–20)। यह एक स्वागत योग्य पहल है, क्योंकि इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के विद्यालय कम से कम पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षण के प्रावधान की अनुपालना करेंगे। न केवल *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* मातृभाषा में शिक्षण पर केंद्रित है, बल्कि यह आश्वासन भी प्रदान करती है कि इस संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर किया जाएगा जैसा कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में उल्लिखित है, "विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं या मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएँगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षा के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्यसामग्री उपलब्ध नहीं है, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ तक संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी" (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ संख्या 19–20)।

यदि इस संदर्भ में विचार किया जाए कि 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं के बाद भी क्यों आज तक स्थानीय भाषाओं में शिक्षण का कार्य प्रभावी रूप से नहीं दिखाई देता है, तो इसकी जड़ों में जाने पर यह समझ में आता है कि इसका सबसे बड़ा कारण स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुपलब्ध

होना एवं स्थानीय भाषा में शिक्षण प्रदान करने वाले अध्यापकों की अनुपलब्धता है और यही वे प्रावधान हैं जो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* से श्रेष्ठ बनाते हैं।

फिर भी संस्कृत भाषा पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* ने भी ज़ोर दिया था एवं उसे त्रि-भाषा सूत्र में शामिल किया था। परंतु *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत होती है, क्योंकि जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित है, संस्कृत को त्रि-भाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, खंड 4.17, पृष्ठ संख्या 21)। इतना ही नहीं, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* से इतर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* संस्कृत की ज्ञान प्रणाली की उपयोगिता के शिक्षण की बात भी करती है एवं संस्कृत भाषा को संस्कृत माध्यम से शिक्षण की बात भी करती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि भाषा विशेष के शिक्षण का माध्यम वह भाषा ही होती है यथा हिंदी को हिंदी माध्यम से, अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाए जाता है परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाए जाने की बजाए उसके शिक्षण का माध्यम अधिकांशतः अंग्रेज़ी अथवा हिंदी है और इस कारण विद्यार्थी संस्कृत भाषा में दक्ष नहीं हो पाते और न ही संस्कृत में उनकी गहन रुचि विकसित हो पाती है। ऐसे में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 202*0 के संस्कृत संबंधी प्रावधान कि यह उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो रुचिकर एवं अनुभवात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, खंड 4.17, पृष्ठ संख्या 21), संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाने के एक सशक्त प्रयास का उदहारण है। इतना ही नहीं *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को रोचक भाषा में सरल मानक संस्कृत में लिखे जाने की बात भी करती है ताकि संस्कृत अध्ययन को आनंददायक बनाया जा सके। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* एवं *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के भाषा एवं शिक्षण के माध्यमों के प्रावधानों में बहुत अंतर नहीं है, परंतु वास्तव में दोनों शिक्षा नीतियों के प्रावधानों में व्यापक अंतर है और वह यह है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, बनाए गए प्रावधानों को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, बनाए गए प्रावधानों को लागू करने का तरीका क्या होगा, इस पर ज़्यादा ज़ोर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भाग 4.16 भी अपने आप में अद्वितीय है जो इसे *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986* से भिन्न दिखाता है। यह प्रावधान है कि प्रत्येक विद्यार्थी 'द लैंग्वेज ऑफ़ इंडिया' पर एक रोचक परियोजना गतिविधि में भाग लेगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, भाग 4.16, पृष्ठ संख्या 21) ताकि विद्यार्थी भारत की बहुभाषी सभ्यता एवं बहु-आयामी संस्कृति से परिचित हो सकें। इस प्रकार के कार्यकलापों से विद्यार्थी न केवल अपनी भाषा एवं संस्कृति से परिचित हो सकेंगे और इनमें उनकी रुचि बढ़ेगी, बल्कि यह राष्ट्रीय एकीकरण एवं भारतीय नागरिक होने पर गर्व के भाव का संचार भी विद्यार्थियों में कर सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट करती है कि फिर भी, त्रि-भाषा के इस फ़ॉर्मूले में बहुत लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, खंड

4.13, पृष्ठ संख्या 19–20)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के ये शब्द बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आज तक विद्यालयों की भाषा पर विभिन्न राज्यों में विवाद का कारण हिंदी की अनिवार्यता रही है। किसी भी भाषा को किसी राज्य पर न थोपे जाने एवं राज्यों को उनकी भाषाई विविधता के अनुसार त्रि-भाषा फ़ॉर्मूला तय करने के अवसर प्रदान करने से राज्यों में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की स्वीकार्यता बढ़ेगी एवं भाषा से संबंधित विवादों का अवसर नहीं मिल सकेगा।

भारत की औपनिवेशिक विरासत और भाषाई विविधता के कारण अंग्रेज़ी की भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और यह भूमिका वैश्वीकरण, निजीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण हाल के दशकों में विस्तारित हुई है (आज़म और अन्य, 2013)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के प्रावधानों से विद्यार्थी पूरी तरह से द्वि-भाषी बन सकते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ इस चुनौती से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुभाषी शिक्षा महँगी है। इसमें ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है जिन्हें द्वि-भाषी (दोनों भाषाओं में) ज्ञान हो। साथ ही वह द्वि-भाषी संसाधनों का प्रयोग करते हुए पढ़ाने में प्रशिक्षित हो। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* शैक्षिक अनुसंधानों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में बच्चों में भाषा अधिग्रहण, अधिगम पर भाषा का प्रभाव एवं शिक्षा के माध्यम पर बहुत सूक्ष्म विचार करने के उपरांत उसे अपनाया गया है। अधिगम एवं उस पर शिक्षण के माध्यम के प्रभावों पर किए गए अध्ययनों में यह सिद्ध हो चुका है कि बच्चे प्रायः मातृभाषा में प्रभावी एवं अपेक्षाकृत स्थायी ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है कि बच्चे अपने माता-पिता, अन्य वयस्कों और अन्य बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से भाषा सीखते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधानों में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि एक बच्चे के लिए एक ही समय में दो या अधिक भाषाओं का अधिग्रहण करना बहुत आसान है, यदि वे उन भाषाओं के वक्ताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहे हों। इन अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बच्चों द्वारा भाषा अधिग्रहण को प्रोन्नत करने के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं— पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 द्वारा अपनाए गए त्रि-भाषा सूत्र को जारी रखने की सिफ़ारिश की गई है एवं तीन भाषाओं के शिक्षण-अधिगम को प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया है और दूसरा कि तीन भाषाओं का विकल्प पूरी तरह से माता-पिता और विद्यार्थियों के चुनाव पर छोड़ दिया गया है।

शिक्षा के माध्यम और भाषा सीखने के बारे में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के प्रमुख घोषित लक्ष्यों में ग्रेड 5 तक सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना भी है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे जिस भाषा को समझते हैं, उन्हें कम से कम छह साल तक की शिक्षा उस भाषा में देने की आवश्यकता है। आज कई विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग की जा रही भाषा को नहीं समझते हैं (भले ही वह क्षेत्रीय भाषा हो या अंग्रेज़ी) और इससे उनकी सीखने की क्षमता व्यापक स्तर पर प्रभावित होती है। यह बाधा उनके साथ हमेशा रहती है, क्योंकि अध्यापक पहले

सीखने पर लगातार ज़ोर देते हैं। भाषा की यह कठिनाई उन्हें बाद तक परेशान करती है, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्राय: बच्चे अपनी बात को अन्य भाषा में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाते, जिसके चलते वे पिछड़ जाते हैं और वे न्यूनतम साक्षरता और संख्यात्मकता को भी नहीं सीख पाते हैं। अत: इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मातृभाषा या घरेलू भाषा में शिक्षण निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, ऐसी आशा की जा सकती है।

इस प्रकार, अब यह भार राज्य सरकार पर आता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के आधार पर हो और साथ ही यह सुनिश्चित हो कि स्कूलों में विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान से भी वंचित न किया जाए। यह लागू करना राज्य सरकारों के लिए वास्तव में एक कठिन परंतु सराहनीय कदम होगा। इस संदर्भ में राज्य सरकारों को निम्नांकित प्रयास करने की आवश्यकता होगी—

1. ***विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषाओं के योग्य युवाओं का अध्यापक के रूप में चयन***— इसे उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि राजस्थान जैसे राज्य में हाड़ोती, बृज, मारवाड़ी सहित कई अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ प्रचलन में हैं, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सीमित हैं। अतः भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उस भाषा विशेष में शिक्षण हेतु 'स्थानीय अध्यापक' नियुक्त किए जाएँ अर्थात् दूसरे शब्दों में अध्यापकों की नियुक्ति को विकेंद्रित किया जाए। अध्यापकों की नियुक्ति में स्थानीय भाषा का ज्ञान एवं उस स्थानीय क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य किया जाए। फिर भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को इस संदर्भ में बड़ी चुनौती का सामना करना होगा और यह चुनौती विशेषकर सरकारी स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर होगी, जो विद्यार्थियों की घरेलू भाषा भी बोल सकें और साथ ही उन्हें विषय-वस्तु का भी पूर्ण ज्ञान हो।
2. ***अध्यापकों के स्थानांतरण को न्यूनतम करना***— यहाँ एक और विचारणीय मुद्दा है कि वर्तमान समय में अध्यापकों को समय-समय पर स्थानांतरित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों की बात करें तो यह समस्या ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि में अध्यापकों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के एक अध्यापक को किसी उत्तर-पूर्व राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तब उसे वहाँ की स्थानीय भाषा में शिक्षण-अधिगम में परेशानी का सामना करना होता है तथा मातृभाषा में शिक्षण न हो पाने से विद्यार्थियों की समस्या यथावत रह जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियों में इस प्रकार के प्रावधान बनाए जा सकते हैं कि विद्यालय के अध्यापकों का 50 प्रतिशत या कोई अन्य प्रतिशत उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष के मूल निवासी एवं वहाँ की मूल भाषा बोलने वाले हैं। इस प्रकार के प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा भी बनाए जाएँ, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा भी अध्यापकों की भर्ती के बाद और

उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए राज्य भर के किसी भी स्कूल में तैनात किया जा सकता है। इस स्थानांतरण को न्यूनतम किया जाना, एक प्रभावी कदम हो सकता है।

3. ***अध्यापकों के स्थानांतरण की पारदर्शी नीति***— केंद्र अथवा राज्य दोनों ही स्तर पर अध्यापकों का स्थानांतरण प्रशासनिक और निजी दोनों कारणों से होता है। कई बार अध्यापक उन स्कूलों में भी स्थानांतरित कर दिए जाते हैं जहाँ विद्यार्थी की भाषा (जिसमें शिक्षण कार्य अपेक्षित होता है) एवं अध्यापक की भाषा में भिन्नता होती है। अध्यापक के इस प्रकार के स्थानांतरण से छोटे बच्चों को अपने अध्यापकों के साथ जुड़ने में और सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। इस परिस्थिति में राज्यों को अध्यापकों के स्थानांतरण की नीति पारदर्शी और दूरदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

4. ***ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान***—अधिकतर देखा गया है कि कई अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति पसंद नहीं करते और वे येन-केन-प्रकारेण उस विद्यालय में भी स्थानांतरित होने को तैयार रहते हैं, जो शहर के आस पास हो, भले ही उस क्षेत्र की मातृभाषा से अध्यापक परिचित हों या न हों। ऐसे में ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अध्यापकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान भी एक प्रभावी कदम हो सकता है, ताकि योग्य अध्यापक ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तत्पर हों।

5. ***स्थानीय भाषाओं में अध्ययन सामाग्री की उपलब्धता***— स्थानीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षण की यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस परिस्थिति में स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन आदि को यह ज़िम्मेदारी दी जा सकती है कि मानकीकृत पाठ्य सामग्री को स्थानीय भाषा में अनुवादित किया जाए। इस कार्य में स्थानीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। राज्य सरकारों को इन संभावनाओं एवं तत्संबंधित प्रावधानों पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में, देश की भाषाई समृद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए शिक्षण-अधिगम में भाषा संबंधी दूरदर्शी सिफ़ारिशें की गई हैं। जिन्हें लागू करने में बहुत-सी चुनौतियाँ आ सकती हैं। बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति पर विचार किया गया है, जिसके अनुसार जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। जिसका पालन सार्वजनिक या सरकारी और निजी दोनों स्कूलों द्वारा किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* संवादात्मक तरीकों का उपयोग करने का सुझाव देती है। भाषा और शिक्षा का माध्यम की दृष्टि से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* द्वारा इस पर गहन मंथन किया गया है और इसकी सभी अनुशंसाएँ भारत जैसे देश

की विविध सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने की एक अनूठी पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के सुसंगत राज्य सरकारें अपने स्तर पर सार्थक क्रियान्वयन के प्रयास करें तो विद्यार्थियों का अधिगम प्रत्येक स्तर पर प्रभावी होगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में शिक्षण-अधिगम की भाषा पर दूरदर्शितापूर्ण सुझाव प्रदान किए गए हैं और इन सुझावों एवं प्रावधानों का सफल क्रियान्वयन ही भारत की शिक्षा व्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़ बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने भाषा को शिक्षा की बुनियाद बताते हुए सत्य ही लिखा है—

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।"

संदर्भ

अन्नामलाई, ई. 2006. इंडिया— लैंग्वज सिचुएशन. *इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स*. पृष्ठ संख्या 610–613. एल्सेविएर. 8 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1016/B0-08-044854-2/04611-3 से प्राप्त किया गया है.

कंगरजा, एस. और एच. अशरफ. 2013. मल्टीलिंगुअलिज़्म एंड एजुकेशन इन साउथ एशिया— रिज़॑ल्विंग पॉलिसी/प्रैक्टिस डिलेमा. *एनुअल रिव्यू ऑफ़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स*. 33, पृष्ठ संख्या 258–285. 8 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1017/S0267190513000068. से प्राप्त किया गया है।

नम्बीसन, जी. बी. 1994. लैंग्वेज एंड स्कूलिंग ऑफ़ ट्राइबल चिल्ड्रन-इश्यूज़ रिलेटेड टू मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन. *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*.

मानव संसाधान विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 5 अक्तूबर, 2020 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से प्राप्त किया गया है.

रामनाथन, वी. 2005. अंबिग्विटीज़ अबाउट इंग्लिश— आईडियोलॉजी एंड क्रिटिकल प्रैक्टिस इन वर्नाक्यूलर-मीडियम कॉलेज क्लासरूम इन गुजरात, इंडिया. *जर्नल ऑफ़ लैंग्वेज आईडेंटिटी एंड एजुकेशन*. 4(1), पृष्ठ संख्या 45–65. https://doi.org/10.1207/s15327701jlie0401_3 अक्तूबर, 2020 को प्राप्त किया गया है.

———. 1996. लैंग्वेज इन एजुकेशन— माइनॉरिटी इन मल्टीलिंगुअलिज़्म इन इंडिया. *इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ़ एजुकेशन*. 42(4), पृष्ठ संख्या 327–347. 5 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1007/BF00601095 से प्राप्त किया गया है.

https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/languagebr.pdf 5 अक्तूबर, 2020 को प्राप्त किया गया है

श्रीधर, के.के. 1991. बाइलिंगुअल एजुकेशन इन इंडिया. *इन फ़ोकस ऑन बाइलिंगुअल एजुकेशन*. पृष्ठ संख्या 89. जॉन बेंजामिन्स पब्लिशिंग कंपनी. 4 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1075/z. से प्राप्त किया गया है.

हामीद, एम.ओ., एच.टी.एम., न्गुयेन. और आर.बी. बाल्दौफ़. 2013. मीडियम ऑफ़ इंस्ट्रक्शन इन एशिया— कांटेक्स्ट, प्रोसेसेस एंड आउटकम्स. *करंट इश्यूज़ इन लैंग्वेज प्लानिंग*. 14(1), पृष्ठ संख्या 1–15. 8 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1080/14664208.2013.792130 से प्राप्त किया गया है.

हॉर्नबर्गर, एन. और वी. वैश. 2009. मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज पॉलिसी एंड स्कूल लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस— ग्लोबलाइज़ेशन एंड इंग्लिश— लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, सिंगापुर एंड साउथ अफ्रीका. *कंपेयर— ए जर्नल ऑफ़ कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल एजुकेशन*. 39(3), पृष्ठ संख्या 305–320. 1 अक्तूबर, 2020 को https://doi.org/10.1080/03057920802469663 से प्राप्त किया गया है.